RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.



(A State Government undertaking) Head Office: 5th floor, Kisan Bhawan, LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015 Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com

क्रमांक : एफ 01 (21) राराखानाआनि / संस्था / ई – टेण्ड / 2018 /

दिनांक :-

ई-बिड

विड प्रपत्र-कम्प्युटर मय ऑपरेटर के लिए (द्वि विड सिस्टम) बिड शुल्क- रूपये 1000/- (नॉन रिफंडेबल) बिड प्रोसेसिंग शुल्क-रूपये 500 / -- (नॉन रिफंडेबल)

बिड प्रतिभूति राशि रूपये 8610 /-

वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2(1)वित्त / जीएण्डटी— एसपीएफसी / 2017 दिनांक 18.12.2020 एवं 23.12.2020 द्वारा RTPP Rule 2013, के नियम 42 (2) में संशोधनानुसार बिड सिक्युरिटी राशि के स्थान पर मानक प्रारूप में घोषणा पत्र (Declaration)(50 / - रू स्टाम्प ड्यूटी तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर 30 प्रतिशत सरचार्ज देय) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

	4) (II(I 1 00)		
		दिनांक	समय
कृ.सं.	विषय	05.072021	- 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1	बिड प्रकाशन की तिथि	बिड प्रकाशन की तिथि	-
2	दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारभिंक तिथि		
2		से	-
	बिंड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	06.07.2021	सांय 3.00 बजे तक
3	दस्तावेज डाउनलोड बंद करने की तिथि	12.07.2021	सांय 6.00 बजे तक
4	दस्तावेज डीउनलाड बंद पर ।	12.07.2021	साय 6.00 वर्ण सम
5	बिड प्रस्तुत करने की अतिंम तिथि	13.07.2021	सांय 3.00 बजे
6	े के कि सामने का तिथ		प्रातः 11.00 बजे तक
7	का दिमाण्ड डाफ्ट/बकर पपर		* 1
1	<u> </u>		
	The Make you of 1 (1911)		
2- 1	- ~ D- /#Fi-il/thot/ 199	•	
	प्रितिभूति राशि (फिजायरि स्टिंग्यम) विभाग (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग	1	
	(सामान्य विताय ९५ राजस्थान दिनांक राजस्थान सरकार के परिपन्न दिनांक		w + 1 1
	राजस्थान सरकार पर	. 118	
	राजस्थान सरपार		
	Annovure-F	तकनीकी बिड की जॉच	
8	वित्त्तीय बिड खोलने की तिथि	करने के पश्चात् पृथक	
, 0		से अवगत करा दिया	
		जावेगा।	
		The second second	
1			

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.



(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, Kisan Bhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General
Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com

कम्प्युटर मय ऑपरेटर के लिए बिड- प्रपत्र (तकनीकी बिड)

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर में कम्प्युटर मय ऑपरेटर के लिए तकनीकी बिड प्रपत्र :--

-L.	बोलीदाता / संवेदक का विवरण				
	i. नाम				···· * · · · · · · · · · · · · · · ·
	ii. чता	7.7			
	iii. टेलीफोन न./मोबाईल न				
	iv. ईः मेल पता				
2.	बिड शुल्क जमा कराने का विवरण:				
	i. राशि रूपये	डी०डी० /	बैकर चैक सं	0	दिनांक
	वैंक का नाम				
3.	बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने का	विवरणः— 86	10/-		
. ,	वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2	2(1)वित्तः / जीएण	डटी– एसपी	एफसी / 2017	दिनांक 18.12.
	2020 एवं 23.12.2020 द्वारा RTPP Rule 20				
	के स्थान पर मानक प्रारूप में घोषणा पत्र				
	ड्यूटी की राशि पर 30 प्रतिशत सरचार्ज				
	प्यूटा यम सारा वर ७० आसरास सरवादा		4.1 2014-011		
	<u> </u>				
4.	बिड प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने का	।ववरण:—			
	i. राशि रूपयेर	डी०डी० / बैंकर	चैक सं0		दिनांक
1	बैंक का नाम		-147 XIO		14 114/
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	0 \				
5.	रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण:				
		रिकस्टिशन	तर्ष	<u> गंजीक्रुणा</u>	
5. क्र.सं	रिजस्ट्रेशन इत्यादि का विवरणः—	रजिस्ट्रेशन नं	वर्ष	पंजीकरण टिनांक	संलग्नक
क्र.सं	विवरण	रजिस्ट्रेशन नं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
	विवरण राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं		वर्ष		
क्र.सं 1	विवरण राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970		वर्ष		
क्र.सं 1 2	विवरण राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952		वर्ष		
क्र.सं 1 2 3	विवरण राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948		वर्ष		
क्र.सं 1 2 3 4	विवरण राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)		वर्ष		
क्र.सं 1 2 3	विवरण राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948		वर्ष	दिनांक	ф ніф
क्र.सं 1 2 3 4	विवरण राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)			दिनांक	ф ніф
क्र.सं 1 2 3 4	विवरण राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)			दिनांक	ф ніф
क्र.सं 1 2 3 4	विवरण राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)		वर्ष		ф ніф

			and the state of t	
-	6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान		
Station or widow		अधिनियम 1958 या इण्डियन		71
CONTRACTOR OF TAXABLE		पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या	, ,	
Acres and Assessment		इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत		and the second s

नोट :- जो भी लागू हो, उनमे सूचनायें अंकित करे।

(III) संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए निविदा में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की

	जावे	गी:—				TOPE	ECI 20	सेवा	कुल
	क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्घारित न्यूनतम मजदूरी	सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	प्रदाता का सर्विस चार्जेज राशि	पुरा राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	कम्प्युटर मय ऑपरेटर	उच्च कुशल	7774/- प्रति कम्प्युटर ऑपरेटर प्रतिमाह		12 % 933 / — प्रति कम्प्युटर ऑपरेटर प्रतिमाह	3.25% 253 / — प्रति कम्प्युटर ऑपरेटर प्रतिमाह	वित्तीय विड की शर्ते एवं नियम के क्रम संख्या 02 के अनुसार	
					3	0 04 -	नंबंधिय स्मा	गुन संस्थ	त स्वाग

(उपयुक्त तालिका में स्तम्म संख्या 1 से 4 , 6 व 7 की पूर्ति संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्तम्म संख्या 5,8व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी।)

6. कार्य का अनुभव का विवरण:--

खाते का प्रकार.....

क्र.सं.	अनुभव का विवरणः— संस्था का नाम	শ্যাক	कार्य की अवधि	
1				
1		1 1 1		

7. बोली दाता/संवेदक के बैंक की डिटेल:	
बैक का नाम मय ब्रान्च	
खाता न	

IFSC CODE..... नोट:- उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंध में सत्यापित दस्तावेज बिड प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

मैने / हमने राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर द्वारा जारी की गयी बिड 'सूचना संख्या दिनांक में वर्णित एंव बिड प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों को रवीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैने / हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हे मैं / हम मानने के लिए बाध्य हूँ / है।

दिनांक

बोलीदाता / 'संवेदक के हस्ताक्षर ं (मय सील)

बोलीदाता / संवेदक द्वारा की जानी वाली घोषणा

यदि मेरे / हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो निगम प्रशासन को बिना किसी पत्र / नोटिस के मेरी / हमारी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं उक्त बिड को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को प्रदत्त करता हूं / करते है।

> बोलीदाता / संवेदक के बैंक का विवरण (मय सील)

तकनीकी बिड के नियम एवं शर्ते:--

1. संवेदक द्वारा तकनीकी प्रस्ताव व वित्तीय प्रस्ताव पृथक-पृथक ऑनलाईन प्रस्तुत किये जायेगे।

2. तकनीकी बिंड स्वीकार करने हेतु पात्रता की शर्ते :--

बोली प्रतिभूति राशि रूपये 8610/— :— वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2(1)वित्त/जीएण्डटी— एसपीएफसी/ 2017 दिनांक 18.12.2020 एवं 23.12.2020 द्वारा RTPP Rule 2013, के नियम 42 (2) में संशोधनानुसार बिड सिक्युरिटी राशि के स्थान पर मानक प्रारूप में घोषणा पत्र (Declaration)(50/— रू स्टाम्प ड्यूटी तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर 30 प्रतिशत सरचार्ज देय) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

A. बिड प्रोसेसिंग शुल्क 500/- एवं बिड शुल्क 1000/- रू का डी.डी/बैंकर्स चैक

B. पैन-कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।

- C. श्रम विभाग , पीएफ विभाग एवं ईएसआई विभाग, राजस्थान व वस्तु एवं सेवाकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्रो की प्रमाणित प्रतियां।
- D. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनर शिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

E. बिड दाता पर निम्नानुसार अनुभव की पात्रता शर्ते लागू होगी:-

- a. संवेदक का कार्य अनुभव राजकीय उपक्रम का हो तो प्राथमिकता दी जायेगी।
- b. कार्य अनुभव कम्प्युटर मय ऑपरेटर (मैनविद मशीन)उपलब्ध कराने संबंधी कार्यो का ही मान्य होगा।
- c. पिछले तीन वर्षो में बिडदाता द्वारा कम से कम रूपये 8.00 लाख का कार्य करने का अनुभव होना चाहिये (इसका प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की प्रति संलग्न की जावे) इसके लिए बिड दाता की तीन वर्षो की सी.ए. द्वारा ऑडिट बैलेंसशीट अथवा आयकर रिटर्न की प्रतियां तकनीकी बिड में लगाना आवश्यक होगा।

will.

Angus

G. मूल बिंड प्रपन्न एवं शर्ते मय परिशिष्ठ (Annexure-A to D) के प्रत्येक पृष्ठ पर बिंडदाता फर्म / कम्पनी की मोहर सहित हस्ताक्षर अंकित हो, हस्ताक्षरित प्रपत्र एवं शर्ते मय परिशिष्ट ही अपलोड किये जावे।

वित्तीय बिड की शर्ते एवं नियम

1. वित्तीय बिंड में सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कम्प्युटर मैनविद मशीन एवं सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज राशि एवं कुल राशि क्रमशः कॉलम न. 5, 8 एवं 9 मे प्रस्तुत करनी होगी। न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले संवेदक को एल-1 मानकर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही संपादित की जायेगी।

2. वित्तीय बिड में फर्म द्वारा सेवा शुल्क (Service Charges) शून्य राशि भरे जाने पर स्वीकार्य नही होगी एवं वित्तीय विड निरस्त मानी जायेगी । सर्विस चार्ज की राशि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्रस्तुत

की जायेगी।

3. तकनीकी – वाणिज्यिक बोली में क्वालिफाईड /सफल बोलीदाता / संवेदक की ही वित्तीय

बोली /प्राईस बिड खोली जायेगी।

4. वित्तीय बिड में अंकित दरों में यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक की शब्दों में अभिव्यक्ति रकम कोई अंक गणितीय त्रृटि से संबंधित नहीं हो। इस संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम -2013 के नियम 64 के अनुसार कार्यवाही की जा कर निर्णय लिया जा सकेगा।

ई-बोली की मुख्य शर्ते

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" {hereinfaster called the Act} and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 :[hereinfaster called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http:sppp.raj.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rule before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिताा अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगे।

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम11, वर्ष 1948) के वैद्यानिक प्रावधानों की अनुपालना का

दायित्व संबंधित संवेदक / वोलीदाता का होगा।

राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक / बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि स्कैन कर पूर्ण रूप से भरे हुए वोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से अनके वैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिको के वैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व

संबंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।

श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक / बोलीदाता को उपापन संस्था (निगम) द्वारा बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा। संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिको को भुगतान किया जायेगा।

Will Ander

 संवेदक / बोलीदाता को राज्य / केन्द्र सरकार की नयीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिको की मजदरी राशि से कटौति और संवेदक / बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक / बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल /बिलो का भगतान किया जायेगा।

 संवेदक / बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेगें, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिको हेतु Helping नम्बर एवं संवेदक / बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं

करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि

जमा कराने का दायित्व पंजीकृत संवेदक / बोलीदाता का होगा।

10. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि उपापन संस्था (निगम) द्वारा अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक / बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।

11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक / बोलीदाताका ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशो आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके

परिणामो / दायित्वों के लिये संवेदक / बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

12. यदि संवेदक / बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ति. जयपुर के सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं जन्मूलन) अधिनियम,1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. निर्योजित श्रमिको को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानो, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त

उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।

14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में /सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई. एस.आई. करवाने / सामृहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए निगम कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. यदि संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्घारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारों श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से स्चित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही की जावेगी।

16. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते है हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संवंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित सेवाकर/बोलीदाता का होगा।

17. कम्प्युटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कम्प्युटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंघन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कम्प्युटर सिस्टम मय

प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।

Widh Anton

18. तकनीकी — वाणिज्य बोली में सफल संवेदको / बोलीदाताओं से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति / अपेक्षित संख्या में कम्प्युटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

19. अनुबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कम्प्युटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता / कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कम्प्युटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।

20. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाए उसी कीमत, निबंधनो और शर्तो पर तीन मास से अनिधक कालाविध के लिए बढाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन कम्प्युटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपाप्त किये जाने या

उसके घटको की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

21. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली / प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

22. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let)पर नहीं देगा।

23. निगम एवं संवेदक के मध्य किसी प्रकार का विवाद,शिकायत एवं माननीय न्यायालय में वाद लंबित नहीं होने के उपरान्त ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि, लौटाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

24. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय होगें।

25. बिड एवं अनुबंध पत्र में वर्णित शास्तियां (पूर्ण/आंशिक) लगाने / नहीं लगाने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा जो कि अनुबंधित फर्म को बिना किसी आपत्ति के मान्य होगा।

26. वित्तीय बिड में समान दरे प्राप्त होने पर उक्त कार्य में अधिक अनुभवी वाली दरदाता फर्मो को प्राथमिकता देते हुए तकनीकी बिड में सफल एक से अधिक फर्मो की दरों को अनुमोदित करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

27. मूल्यांकन की कसौटी-तकनीकी -वाण्जियक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता / संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईंग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।

28. बोलियों का अपवर्जन :- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

- 29. वित्त विभाग के परिपन्न दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर बोली प्रतिभूति डिक्लेरेशन (Annexure-E के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। संवेदक / बोलीदाता निम्न स्थितियों में बोली प्रतिभूति राशि का भुगतान करना होगा:
 - i. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
 - ii. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
 - iii. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
 - iv. जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अविध में कम्प्युटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
 - v. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय—6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
- 30. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security)
 - i. बोली आमंत्रण अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम का 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैकर्स चैक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नांगरिक आपूर्ति निगम लि. जयुपर के नाम जमा करानी होगी एवं 500 / रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर.प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

ii. कार्य सम्पादन् प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

31. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance security Deposit) :— कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलो में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।

i. जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii. जब बालीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

Redde

Anem

iii. जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अविध में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलो में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

32. भुगतानः-

i. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

33. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):— परिनिर्धीरित क्षति के साथ सवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले

में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा

सप्लाई करने में असफल रहा है:--

i. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5 प्रतिशत।

- ii. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक 5 प्रतिशत किन्तु सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधी से अनिधक कि लिए
- iii. विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु 7.5 प्रतिशत विहित अवधि के तीन चौथाई से अनिधक अवधि के लिए
- iv. विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
- v. विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।
- vi. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- vii. यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- iii. यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो , तो सुपुर्दगी की अविध में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

34. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी निगम के कर्मचारी नहीं माने जायेगे।

35. प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रबन्धक निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर होगें।

36. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या / संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता है:--

महाप्रबन्धक (प्रशासन) रा.रा.खा.ना.आ. नि. लि. जयपुर। दूरभाष :— 0141 — 2744537 E-Mail rsfcsc@gmail.Com

8

Mills

Some

मैने / हमने पृष्ठांकित शर्त संख्या 01 से 36 तक की समस्त शर्तों को भली भाँती पढ लिया है एवं समझ लिया है। मैं / हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण करने के लिए सहमत है।

बोलीदाता / संवेदक के हस्ताक्षर (मय सील)	
नाम	
पत्र व्यवहार का पता	
मोबाइल नम्बर	

ई- मेल आई.डी.....

July Will

200

B

Ander

किराये पर लिये जाने वाले कम्प्यूटर मय ऑपरेटर का विवरण :-

Φ.	ami	ये जाने वाले कम्प्यूटर का कान्फिग्रेशन	ऑपरेटर की योग्यता
	Crit	र जान पाल कम्बूटर का कालिग्रसन	जापरदर का चान्यता
सं.			
1	1	Computer – Intel Core i3/ Equivalent	
		AMD based computer or higher speed,	should be graduate, should
		Ram 2/4GB or higher, Hard disk 250	have knowledge to operate
		GB or more, 15" Monitor/TFT or	Computer in Windows/Linux
		bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card,	emvironment, good knowledge
		CD/DVD Writer, Standard Keybord	/practice in word Processor,
		(Wireless), Optical Mouse (Wireless),	Spread sheets and Internet
		Standard Serial, parallel & USB ports	operation and other office
		window 7 or higher, Anti Virus,	related computer operations and
		Preinstalled MS Office.	should have sufficient speed of
	В.	Responsibility of software licence will	typing in hindi and english.
		be borne by the contractor	The Personnel shall have at
	C.	Printer - Black and white laser priter	lest two years Experience
i		with speed 15 ppm or more. For specific	Typing in hindi and english.
		needs, dotmatix/inkjet printer may be	
		taken in lieu of laser printer.	
	D.	UPS - Online/offline UPS for above	
		Computer and printer with 30 minutes	
1		battery backup.	

- 2. जॉब/कार्य :- कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है :-
- 1. राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्य करना।
- 2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रयोप्त गति से टकंण कार्य एवं प्रिन्टिंग करना।
- 3. डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
- 4. एम.एस.वर्ड, एम.एस.एक्सल, पावर पॉइन्ट आदि में कार्य करना।
- 5. ई–मेल करना/प्राप्त करना।
- विभिन्न पोर्टल / मोड्यूलस में सूचनाओं को अपलोड एवं अद्यतन करना।
- 7. ई-गवनेंस में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना।
- 8. संबंधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं सूचना तकनीक से संबंधित अन्य आवंटित कार्य करना।

बोलीदाता / संवेदक के हस्ताक्षर (मय सील)

पत्र व्यवहार का पता..... मोबाइल नम्बर.... ई- मेल आई.डी.....

10

विशिष्ट शर्ते :

1. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण बोली में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।

2. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजलीं की फिटिंग की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जावेगी। विद्युत व्यय का भार विभाग वहन करेगा। यह विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण

तालें में रखें जा सकें।

3. बोलीदाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय के बाद या पूर्व आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिवन प्रथम बार बोलीदाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

4. किसी भी माह के चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण ये किसी

खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रूपये की कटौती की जावेगी।

5. विशेष परिस्थितियों में यह विभाग इस चार दिन की अविध बढ़ा सकता है जिसके लिए उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढ़ी हुई अविध में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह बोलीदाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।

6. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संघारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तों लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो बोलीदाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

7. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो बोलीदाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर

संविदा निरस्त किया जायेगा।

8. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः यदि बोलीदाता उपकरणों को बीमा करवा सकता है।

9. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।

10. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर संबंधित अधिकारी जिसके यहां कार्य किया जा रहा है, के द्वारा विल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जावेगा तथा वसलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

11. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (इस विभाग व बोलीदाता) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

12. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम से डिलिट किया जायेगा।

13. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमित डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेडछाड/रद्दोबदल/धोखाधडी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

14. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) कार्यालय में गरिमा बनायें रखेगा, सद्व्यवहार नहीं करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा। 15. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) अवैध गतिविधि/अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। उक्त कार्मिक चाल—चलन एवं

चरित्र अच्छा होना चाहिए।

16. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा अपेक्षित् जॉब/कार्य नहीं करनें पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा 4 दिवस में उसके

स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक / (ऑपरेटर) उपलब्ध करवायेगा।

17. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर धूम्रपान करने/अशिष्ट या दुर्व्यवहार करने/गंदगी फैलाने/नशाखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया जावेगा तथा संवेदक/बोलीदाता द्वारा उक्त कार्मिक को इस उपापन संस्था से अनुवंधित अन्य स्थान या अधिकारी के यहां भी नहीं लगायेगा जबिक अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की उनके स्थान पर लगाने की तत्काल व्यवस्था करेगा।

18. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य छोडने/स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा उनके स्थान

पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) लगायें जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।

8

Hill

prom

19. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर लैंगिक भेदभाव या उत्पीडन करने/अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता की शिकायत प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

20. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) के चाल-चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Auto Ylidle

घोषणा पत्र

मैने/ हमने िनविदा की समस्त शर्तो एवं नियमों को पढ़,सुन एवं समझ लिया है तथा इनको मान्य एवं स्वीकार करते हुये इनकी पालना के लिये वचनवद्ध हूँ/हैं तथा निगम की शर्तो पर कार्य करने के लिये विना शर्त सहमित देता हूँ/देते हैं। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा प्रक्योरमेन्ट के संबंध में जारी The Rajasthan Tranasparency in Public Procurmenet Act,2012 एवं The Rajasthan Tranasparency in Public Procurmenet Act,2013 की सभी धाराओं/नियमों को विना शर्त स्वीकार करने के सम्बन्ध में अपनी सहमित प्रवन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर को प्रदान करता हूँ/करते है।


निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

July

Ander

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government undertaking)





कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के लिए वित्तीय (बिड)

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. में कम्प्युटर मय ऑपरेटर के लिए ई – वित्तीय बोली / प्राईस बिड ई – प्रक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ. क्यू (Financial BID) में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

I)	संवेदव	क माध्यम		उपापन के लिए	निविदा में द	रे, निम्नानुर	गर प्रपत्र म	प्रस्तुत का	
	क्र.	कार्य की	कार्य हेतु	श्रम विभाग	सेवाप्रदाता	EPF	ESI दर	सेवा	कुल
	सं.	प्रकृति	आवश्यक	द्वारा	द्वारा प्रस्तुत	दर	प्रतिशत	प्रदाता	राशि
1			मानव	निधारित	प्रति व्यक्ति	प्रतिशत		का	
-			संसाधन की	न्यूनतम	दर	125		सर्विस	
İ			अनुमानित	मजदूरी	1.	,	1.3	चार्जेज	
ĺ			संख्या					राशि	
	1	2	3	4 .	5	6	7	8	9
		कम्प्युटर मय ऑपरेटर	उच्च कुशल	7774/— प्रति कम्प्युटर ऑपरेटर प्रतिमाह		12 % 933 / – प्रति कम्प्युटर ऑपरेटर प्रतिमाह	3.25% 253/— प्रति कम्प्युटर ऑपरेटर प्रतिमाह	वित्तीय बिड की शर्ते एवं नियम के क्रम संख्या 02 के अनुसार	
					71				

1 उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 1 से 4, 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजो में अंकित कर उपलब्ध करायी गयी है तथा केवल कॉलम संख्या 5, 8 व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियों का ई—प्रक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ. क्यू.(BOQ) में अंकित की जायेगी।

2! संवेदक /बोलीदाता द्वारा कम्प्युटर ऑपरेटर (उच्च कुशल) को देय राशि पर वस्तु एंव सेवाकर (जी.एस. टी.) राशि उपापन संस्था (निगम) द्वारा अतिरिक्त रूप से देय होगी।

3 न्यूनतम मजदूरी की दरे समय—समय पर जो प्रभावी होगी, देय होगी। इसी प्रकार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की दर में भी कोई परिवर्तन हो तो वह भी देय होगा तथा उसको संबंधित विभाग में जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की होगी।

बोलीदाता / संवेदक के हस्ताक्षर (मय सील)

A while

नाम	0.00
पत्र व्यवहार का पता	1255
मोबाइल नम्बर	
ई- मेल आई.डी	
2 101 011Q.01	

14

Annexure A: Compliance with the code of integrity and No Conflict of Interest

Any person Participating in a procurement process shall -

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfairadvantage in procurement process to otherwise influence the procurement process:
- (b) Not misrepresent or omit the misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit oravoid an obligation:
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impale the transparency, fairness and progress of the procurement process:
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfairadvantage in the procurement process:
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectlyto any party or to its property to influence the procurement process:
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
- (g) Disclose conflict of interest if any: and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years orany debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party'sperformance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

I.A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but notlimited to:

- (a) Have controlling partners/shareholders in common: or
- (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them: or
- (c) Have the same legal representative for purposes of the Bid: or
- (d) Have a relationship with each other: directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the Bidding process: or
- (e) The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved However, this does not limit the inclusion of the some subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid: or
- (f) The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid: or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired)by the Procuring Entity as engineer-in- charge/consultant for the contract.

& Hide

Arbor

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications <u>Declaration by the Bidder</u>

In	relation	to my/our Bid Submitted tofor procurement
of		in resppmse to their Notice inviting BidsNoDated
e		
here	eby declare	e under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act. 2012, that:
	1.	I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by
		the Procuring Entity:
	2.	I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State averment or any local authority as specified in
		the Bidding Document:
	3.	I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have
		my/our business activates suspended ant not the subject of legal proceeding
		for any of the foregoing reasons:
	4.	LANG do not have and our directors and officers not have, been
	٠,	convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct of
		the making of false statements or misrepresentations as to my/our
		qualifications to enter into a procurement Contract within a period of
		three years preceding the commencement debarment proceedings:
	5.	I/We do not have a confect of interest as specified in the Act. Rules and
		the Bidding Document, which materially affects fair competition:

Date:

1/3

Signature of bidder

Place:

Antes

Name:

Designation

:Address:

John

Annexure C: Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the Second Appellate Authority is
Filing an appeal(2)
If and Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is
in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued hereunder, he may file an
appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of the days from the
date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly hiving the specific hounds or grounds on
which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed
only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring

The designation and address of the first Appellate Authority is.....

Entity evaluates the Technical Bids May be filed only by a Bidder whose technical Bid is found to be acceptable. 2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3)If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity. as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) of the date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the cose may be

4)Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement:
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid Process:
- (c) The decision of whiter or not to enter into negotiations:
- (d) Cancellation of a procurement process:
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5)Form of Appeal

(1)

- (a) an appeal under Para (1) of (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appear.
- (b) appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in theappeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be,in person or through registered post or authorized representative.

6) Fee for filing appeal

- (a) fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for secondappeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cherub of aScheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall.-
- (i) Hear all the parties to appeal present before him: and
- (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating ot the matter.
- (c) After hearing the parting to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass and copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass and order in writing and provide the copyof order to theparties to appeal free cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

& wide

Ander

FORM No. 1 (See Rule 83)

Memorandum of Appeal Under the RajasthanTransparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal N	o	of			
		(First/Second A			
	articulars of appellar				
(i) N	ame of the appellan	t:			
(ii) O	fficial address, if any	:			
(iii) Re	esidential address:				
2. Na	ame and address of t	he respondent (s):			
(i)					*
(ii)					
(iii)					
			ealed against and		
4. If t	which the appellant the Appellant Pro tal address of the re	poses to be rep	resented by a r	epresentative,	the name ar
		nd documents encl			
appeal: 6.	Grounds	of			
			appeal		
	y an affidavit)		er er.		
7. Praye	r:				
lace	***************************************				
Date	•••••				
		0			

& Mills

Appellant's Signature

July

Annexure D: Additional Conditions of Contract

Correction of arithmetical errors

- I. Provided that a financial Bid is Substantially responsive. the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis: If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prebuil and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:
- II. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected: and
- III. If there is a discrepancy between words and figures. the amount in words shall prevail/ unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error. in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

 If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors. its bid shall bi disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- I. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, But such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- II. If the procuring Entity does not procure ant subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.
- .III. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However the additional quantity shall not be more than 25% of the v
- alue of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than Bidder at the time of award (In

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder. Whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even whose Bid is accepted, s

النال ا

Answ

Form of Bid-Securing Declaration

Date :	
Bid No	
Altern	ative No.:
To:	
	te undersigned, declare that:
	derstand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.
	cept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, following cases, namely:-
(a) (b)	when we withdraw or modify our bid after opening of bids; when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c)	when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d)	when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
(e)	if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.
undert	ition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process aken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof nired to be forfeited by procuring entity.
We un	derstand this Bid Securing Declaration shall expire if:-
(i) (ii) (iii) (iv) (v)	we are not the successful Bidder; the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder; thirty days after the expiration of our Bid. the cancellation of the procurement process; or the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.
Signe	d :
Name	
In the	capacity of:
Duly a	authorized to sign the bid for and on behalf of:
Dated Corpo	on day of orate Seal
	: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all ers of the Joint Venture that is submitting the bid.]
	2 20 Wille subur